रजिस्ट्री सं० डी-(डी) 72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 266] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18 1974/ज्येष्ठ 28, 1896
No. 266] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 1974/JYAISTHA 28, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June 1974

S.O.368(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information:—

DECLARATION

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Manipur

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Irengbam Tompok Singh (Name)
Singjamei Chingamakha Part I (Address)
P.O. Singjamei

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Shri Salam Tombi.

PLACE: Lamphelpat,Imphal (Sd.) A. H. CHOWDHURY,
DATE: 10-6-1974. Returning Officer for Bye-election to Council of States".

[No. F. 13(5)/74-Leg.II]
S. HARIHARA IYER, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 1974

का० आ० 368 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा में रिक्त स्थान को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है—

घोषणा

मणिपुर विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप नियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि श्री सलाम टोम्बी के त्याग पत्र दे देने से उस सदन में रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए—

श्री आइरेंगबम टामचोक सिंह,	(नाम)
सिंगजामेइ चिंगामाखा, भाग 1	(पता)
डाकघर सिंगजामेइ	

सम्यक् रूप से निर्वाचित किए गए हैं।

स्थान : लामफेलपत, इम्फाल

तारीख : 10-6-1974

(ह०) ए० एच० चौधरी,
राज्य सभा उप-निर्वाचन के लिए
रिटर्निंग आफिसर"।

[सं० फा० 13 (5)/74-विधायी II]

एस० हरिहर अय्यर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974